कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**058 / 10, 11.06.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.06.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' CORRECTION FLUID '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 06.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि CORRECTION FLUID पर कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिन्टिंग इंक, रबर एवं राइटिंग इंक की भाँति मानते हुए 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1018, दिनांक 24.07.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नकर्ता द्वारा CORRECTION FLUID को कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिन्टिंग इंक, रबर एवं राइटिंग इंक से आच्छादित मानते हुए करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, किन्तु CORRECTION FLUID उक्त वस्तुओं से आच्छादित नहीं होता है। यह वस्तु एक अवर्गीकृत वस्तु है अत: 13.5% की दर से करदेयता होना चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रश्नकर्ता उत्तर प्रदेश के स्टेशनरी व्यवसाइयों का महासंगठन है। इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय

...2

तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।